

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं०-417(1) दिनांक-06.04.2015 की कंडिका-4 को संशोधित रूप में निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।"

2- उक्त राज्यादेश की कंडिका-6 एवं 7 में अंकित "प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना" के स्थान पर "अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना" पढ़ा जाय।

3- उक्त राज्यादेश की कंडिका-6 में अंकित "सुसंगत कोषागार फॉर्म" के स्थान पर "बी०टी०सी० फॉर्म-46" पढ़ा जाय।

4- उक्त राज्यादेश की कंडिका-9 को संशोधित रूप में निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।"

5- राज्यादेश सं०-417(1) दिनांक-06.04.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6- राज्यादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक:-1/पी०क०-02/2015- 1078(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 21/9/2015  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/ कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।